न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

<u>अपील संख्याः 180/2020 एल.आर.एक्ट</u> <u>GCMS No. 2020/00195</u>

1. गुरमीत कौर पत्नि सुखविन्द्र सिंह जटसिख निवासी 5 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल दुलरासर बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. सुख देवी उर्फ सुखी देवी पत्नि बख्तावर सिंह जटसिख निवासी 38 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट श्री महावीर प्रसाद शर्मा
श्री मदन सुरोलिया
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री भगवानराम लखारा
श्री राजेन्द्र सिंह शिमला

निर्णय

दिनांकः 13.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.10.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक दुलरासर बारानी पत्थर नंबर 263/318 मुरब्बा नंबर 96 में 3.795 हैक्टेयर नहरी रकबा खातेदारी अपीलांट के भाई गुरमीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम दर्ज थी। गुरमीत सिंह की दिनांक 05.04.2016 को मृत्यु हो गई थी। तहसीलदार रायसिंहनगर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुख देवी उर्फ सुखी देवी पत्नी बख्तावर सिंह के हक में विरासतन इंतकाल संख्या 822 दिनांक 28.06. 2018 दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 822 के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इंतकाल को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट को खारिज कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.10.2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि अपीलांट के भाई गुरमीत सिंह के नाम दर्ज थी। गुरमीत सिंह की मृत्यु दिनांक 05.04.2016 को हो जाने पर तहसीलदार रायसिंहनगर ने उक्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 822 दिनांक 28.06.2018 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुख देवी उर्फ सुखी देवी के हक में कर दिया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने इंतकाल संख्या 822 अपीलांट को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये इकतरफा दर्ज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने ग्राम पंचायत खाटां के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर इंतकाल दर्ज कर कानूनी भूल की हैं, जबकि बख्तावर सिंह के तीन वारिस क्रमशः सुख देवी उर्फ सुखी देवी (रेस्पोडेन्ट सं. 2), मृतक पुत्र गुरमीत सिंह एवं एक पुत्री गुरमीत कौर (अपीलांट) थे। तहसीलदार रायसिंहनगर ने इस बाबत कोई जांच नहीं की कि अपीलाधीन भूमि पर किसका कब्जा है। अपीलांट गुरमीत कौर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सूख देवी उर्फ सुखी देवी में आपस में पुत्री एवं माता का संबंध है। अधीनस्थ न्यायालय में दोनो पक्षो द्वारा सहमति के आधार पर अपील रिमाण्ड किए जाने हेतु निवेदन किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच राजीनामा होने के बावजुद अपील रिमाण्ड करने के स्थान पर इंतकाल को सही मानकर अपील को खारिज कर दिया, जो विधिक नहीं है। अपीलांट गुरमीत कौर मृत्तक बख्तावर सिंह की पुत्री होने कारण विवादित भूमि में अपनी मां सुख देवी उर्फ सुखी देवी के साथ बराबर की अधिकारी है। अतः अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 27.10.2020 एवं तहसीलदार रायसिंहनगर का इंतकाल संख्या 822 दिनांक 28.06.2018 खारिज किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान कथन किया कि अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किया गया हैं जो उचित नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार का राजीनामा शामिल पत्रावली नहीं है। मात्र एक प्रार्थना—पत्र है, जिसमें पक्षकारान के बीच सहमति होना लिखा गया है, वह भी पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरार्थ नहीं होकर अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित है जो मान्य नही है और न ही इस पत्र में विचाराधीन भूमि का कोई उल्लेख हैं। आगे बहस करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने कहा विचाराधीन भूमि अपीलांट गुरमीत कौर के पिता बख्तावर सिंह के नाम दर्ज थी और बख्तावर सिंह द्वारा की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

गई वसीयत के आधार पर बख्तावर सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरमीत सिंह के नाम दर्ज हुई थी। तत्पश्चात् गुरमीत सिंह की मृत्यु दिनांक 05.04.2016 को हो जाने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम सूची के अनुसार माता एकमात्र वारिस होती हैं। चूंकि गुरमीत सिंह की मृत्यु अविवाहित के रूप में होने के कारण माता एकमात्र वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने हिस्से की भूमि को आगे विक्रय कर दिया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश व इंतकाल यथावत रखा जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। विचाराधीन अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय जिसमें इंतकाल संख्या 822 दिनांक 28.06.2018 से संबंधित हैं जो कि गुरमीत सिंह की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के नाम पर विधिक वारिस के रूप में दर्ज की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने नाम भूमि दर्ज होने के पश्चात भूमि का विक्रय कर दिया। यदि अपीलांट विचाराधीन भूमि पर अपना कोई अधिकार/हक रखती है तो सक्षम न्यायालय में अधिकार की घोषणा/दावों द्वारा अनुतोष प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायाल द्वारा अपीलांट की अपील निरस्त कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2020 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर